संदर्भ शर्तें (टीओआर)

कंसल्टेंट–पीएम–आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय)

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र (एनएचएसआरसी), नई दिल्ली पूरी तरह से अनुबंध के आधार पर उपर्युक्त पद के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित कर रहा है।

ए. पृष्ठभूमि

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को पीएम– आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन (पीएम–एबीएचआईएम) के कार्यान्वयन में योगदान देने के लिए कनसल्टेंट्स की तलाश है। इस संदर्भ में, सार्वजनिक स्वास्थ्य के कनसल्टेंट परियोजना से संबंधित गतिविधियों के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (एनपीएमयू) का हिस्सा होंगे।

बी. परियोजना पृष्ठभूमि और उद्देश्य

पीएम– आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन (पीएम–एबीएचआईएम) केंद्रीय क्षेत्र के घटकों के साथ केंद्र प्रायोजित योजना है। योजना का उद्देश्य शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में व्याप्त स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे, निगरानी और स्वास्थ्य अनुसंधान में महत्वपूर्ण अंतराल को भरना है ताकि समुदायों को इस तरह की महामारी/स्वास्थ्य संकटों के प्रबंधन में आत्मनिर्भर बनाया जा सके। योजना के तहत उपायों में सभी स्तरों अर्थात प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक स्तर पर देखभाल की निरंतरता में स्वास्थ्य प्रणालियों और संस्थानों की क्षमता विकसित करने और वर्तमान एवं भविष्य की महामारियों/आपदाओं से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए स्वास्थ्य प्रणाली तैयार करने पर ध्यान दिया जाता है।

सी. कार्य का दायरा

कंसल्टेंट (पीएम–एबीएचआईएम) निम्नलिखित कार्यों के साथ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में स्थापित पीएम–एबीएचआईएम एनपीएमयू इकाई के तहत काम करेंगे :

उत्तरदायित्वः

- पीएम–एबीएचआईएम के तहत राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर आवश्यकतानुसार पीएम–एबीएचआईएम के लिए नीति दस्तावेज, तकनीकी और कार्यक्रम के विकास में सहायता प्रदान करना
- दिशानिर्देशों, एसओपी, टेम्प्लेट, प्रारूपों के विकास के साथ पीएम–एबीएचआईएम के तहत राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए मार्गदर्शन दस्तावेज
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की रूपरेखा के साथ तालमेल में पीएम–एबीएचआईएम के जनादेश को पूरा करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में अन्य कार्यक्रम प्रभागों के साथ काम करना
- क्षेत्र की यात्रा करना और राज्यों में कार्यक्रम कार्यान्वयन की निगरानी/समीक्षा करना
- कार्यक्रमों के संबंध में नीति और कार्यक्रम कार्यान्वयन में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों का मार्गदर्शन
- नीति की सूचना और समुचित परिवर्तनों की वकालत करने के लिए विभिन्न राज्यों/जिलों से क्षेत्र समीक्षा यात्राओं से प्रमाण एकत्र करना और उनका विश्लेषण करना। स्थितिजन्य विश्लेषण से प्राप्त योजना एवं प्रस्तावों/रणनीतियों के विकास और कार्यान्वयन को सुगम बनाना।
- विषयगत क्षेत्रों पर तकनीकी इनपुट प्रदान करना।
- कार्यक्रमों और नीतियों में सुधार के लिए कार्यान्वयन और परिचालन अनुसंधान और आकलन करना।
- पीएम–एबीएचआईएम की प्रगति की निगरानी करना और नियमित आधार पर इनपुट प्रदान करना।
- कार्यान्वयन संस्थाओं को बजट के साथ अनुमोदित वार्षिक कार्य योजनाओं का समेकन और प्रसार सुनिश्चित करना और परिणाम ढांचे के आधार पर त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट तैयार करना।

- राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को बजट के साथ अनुमोदित वार्षिक कार्य योजनाओं का समेकन और प्रसार सुनिश्चित करना और निगरानी एवं मूल्यांकन पर आवधिक प्रगति रिपोर्ट तैयार करना
- समय–समय पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा सौंपे गए किसी भी अन्य गतिविधियों/कार्यों को करना।

अनिवार्य योग्यता/आवश्यकताएं

- एमबीबीएस/बीडीएस/बीएचएमएस/बीएएमएस/एमडी/सोशल मेडिसिन एंड कम्युनिटी हेल्थ में एम फिल/सार्वजनिक स्वास्थ्य में स्नातकोत्तर/स्वास्थ्य एवं अस्पताल प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा/अस्पताल प्रशासन में स्नातकोत्तर (एमएचए)/ स्वास्थ्य प्रबंधन में एमबीए/सामाजिक कार्य में स्नातकोत्तर डिग्री
- शैक्षिक योग्यता के बाद सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम नियोजन या कार्यान्वयनन में कम से कम 2 वर्षों का कार्य अनुभव। स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण/राष्ट्रीय/राज्य स्तर पर एनएचएम के अनुभवी उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी।
- कंप्यूटर प्रवीणता के साथ एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर प्वाइंट जैसे सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाले पैकेजों में उच्च स्तर की जानकारी।
- उत्कृष्ट संचार और प्रस्तुति कौशल, विश्लेषणात्मक और पारस्परिक क्षमताएं, अंग्रेजी में उत्कृष्ट मौखिक और लिखित संचार कौशल। हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान भी वांछनीय है।
- बहु–विषयक टीम वातावरण में काम करने की प्रदर्शित क्षमता।
- क्षेत्र स्तर पर स्वास्थ्य कार्यक्रम के संचालन/जिला स्तरीय स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने के कार्य का प्रदर्शित अनुभव।
- तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए राज्यों और जिलों की यात्रा करने की इच्छा और असाइनमेंट के लिए समय–सीमा को पूरा करने के लिए एक साथ विभिन्न असाइनमेंट पर काम करने की क्षमता.।

रिपोर्टिंग

कनसल्टेंट (पीएम–एबीएचआईएम) निदेशक/डीएस–एनएचएम, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को रिपोर्ट करेंगे

अनुबंध अवधिः

शुरुआत में 31 मार्च 2024 तक की अवधि के लिए नियुक्ति विशुद्ध रूप से अनुबंध के आधार पर होगी। हालांकि, विशुद्ध रूप से भारत सरकार/स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के विवेक से संतोषजनक प्रदर्शन के अधीन, कनसल्टेंसी को आगे की अवधि के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है। तथापि, किसी एक पक्ष द्वारा किसी एक को एक महीने का नोटिस देकर कनसल्टेंसी को समाप्त किया जा सकता है

पदों की संख्याः 2 (दो)

स्थानः दिल्ली

अन्य शर्तेः भारत सरकार/स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की वर्तमान शर्तों के अनुसार

आयुः 45 वर्ष तक (आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि के अनुसार)

परिलब्धियांः रुपये 60,000/– से रु. 1,20,000/– प्रति माह के बीच।

आवेदन कैसे करें: उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन सही तरह से भरने का आग्रह किया जाता है जो एनएचएसआरसी की वैबसाइट http://nhsrcindia.org पर उपलब्ध है। आवेदन केवल निर्धारित ऑनलाइन प्रारूप में होने पर ही स्वीकार किया जाएगा। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि **13-Jun-2023** है।